

पत्र संख्या— **HPFD-F05/141/2023-FCA**
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०।

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय),
सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश—1710001

दिनांक शिमला—1

विषय: **Diversion of 1.276 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Upper Jamli Baron to Kathana Km. 0/0 to 6/700, within the jurisdiction of Nahani Forest Division HP. Proposal No FP/HP/Road/15861/2015.**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 21/06/2024 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विषयाधीन प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

शर्तें	उत्तर
A. वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:- पप प्रयोत्का एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा राशि जमा करावाई जाए।	प्रयोत्का एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करावा ली है।
पपप राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी। बचन बढ़ता संलग्न हैं।
पपपप WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 1.276 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 1.276 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए।
पपपप प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।	प्रयोत्का एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर ली गई है।
पपपप पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाए।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की गई।
पपपप प्रयोत्का एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, वन एन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर	प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, वन एन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान

<p>ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में विकार नहि किया जाएगा ।</p>	<p>के माध्यम से जमा किए गए हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए गए हैं।</p>
<p>अपपप प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि “इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है” प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए अनिवार्य होगा ।</p>	<p>इस आशय का एक वचन पत्र कि “इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है” प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।</p>
<p>अपपपप FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।</p>	<p>FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।</p>
<p>B. वे शर्तें जिनका राज्य वनविभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फिल्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-।। अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है। 1^प वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।</p>	<p>वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदलि नहीं जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>2^प काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।</p>	<p>काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षोंकी कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>3^प राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के 2.552 ha पर पौध रोपण का कार्य C-I, Survey No.: 53F/2, RF Andheri Gurudwara, Trilokpur Forest Range, Nahan Forest Division, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा।</p>	<p>राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार 2.552 ha पर पौध रोपण का कार्य C-I, Survey No.: 53F/2, RF Andheri Gurudwara, Trilokpur Forest Range, Nahan Forest Division, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh वन भूमि पर पौधों के पौधोरोपण का कार्य किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया कर दिया है । अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक व र्क के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>4^प प्रस्तावित सी0ए0 भूमि, यदि राज्य सरकार के नाम है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।</p>	<p>प्रस्तावित सी0ए0 भूमि, यदि राज्य सरकार के नाम है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न है।</p>
<p>5^प राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी।</p>	<p>राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी। इस सन्दर्भ की बचनबद्धता संलग्न है।</p>
<p>6^प वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गये उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिए नहीं किया जायेगा।</p>	<p>वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गये उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>7^प माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जाएगी तो उस बढी हुई NPVकी राशी को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी राशी जमा करना सुनिश्चित करेगी।</p>	<p>माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की राशी को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य</p>

	सरकार बढी राशी जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
8 ^प एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
9 ^प स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।	सीनान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
10 ^प केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
11 ^प वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
12 ^प प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
13 ^प परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
14 ^प प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
15 ^प प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
16 ^प स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिछे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंभों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिछे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंभों द्वारा चिह्नित की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
17 ^प संरक्षित क्षेत्रों/वनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
18 ^प प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
19 ^प यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
20 ^प परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैका जाएगा।	परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके

	अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
21 ^ण इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।
22 ^ण अन्य कोई भी 'शर्त' इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।
23 ^ण यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुच्छेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।
24 ^ण इनमें से किसी भी 'शर्त' का उल्लंघन वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०

